

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-365
उत्तर देने की तारीख-23/07/2025

केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में आरक्षित श्रेणियों के लिए रिक्तियां

365 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, एम्स, आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी आदि में अनुसूचित जाति (अ.जा), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा) और अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) सहित आरक्षित श्रेणियों के लिए कुल रिक्तियों का संस्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, एम्स, आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी आदि में एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, कुलपति आदि जैसे पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित आरक्षित श्रेणियों के लिए कुल रिक्तियों का संस्थान-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग के तहत आने वाली केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाएं (सीएचईआई), जिनमें केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू), आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी शामिल हैं, जो संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं और उनके तहत बनाए गए अधिनियमों/संविधियों/अध्यादेशों/विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। स्वायत्त संस्थाओं के रूप में, संस्थाओं में संकाय की भर्ती, उनके अधिनियमों और विनियमों के अनुसार और केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के अनुसार की जाती है। भर्ती संबंधी शक्तियां संबंधित शासी बोर्ड (बीओजी)/कार्यकारी समिति/प्रबंधन बोर्ड के पास निहित हैं तथा इसमें मंत्रालय की कोई सक्रिय भूमिका नहीं है।

रिक्तियों का होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। ये रिक्तियां पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, नई संस्थाओं, योजनाओं या परियोजनाओं के खुलने तथा मौजूदा संस्थाओं में छात्रों की संख्या में वृद्धि और क्षमता विस्तार संबंधी अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती हैं।

सरकार ने इन सीएचईआई में शिक्षक संवर्ग के लिए अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.), सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्तियों में पदों के आरक्षण का प्रावधान करने के लिए दिनांक 09.07.2019 को केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 को अधिसूचित किया। उक्त अधिनियम के अनुसरण में दिनांक 12.7.2019 को जारी अधिसूचना के अनुसार शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जातियों के लिए 15%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया जाता है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दिनांक 01.07.2025 की स्थिति के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के लिए शिक्षण पदों की कुल रिक्तियां 4889 हैं, जिनमें से 711, 428 और 1491 क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं। पदवार विवरण निम्नानुसार है:

पद/श्रेणी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
प्रोफेसर	197	120	339
एसोसिएट प्रोफेसर	324	199	608
सहायक प्रोफेसर	190	109	544

आईआईएम में शिक्षण पदों के लिए आरक्षित श्रेणियों हेतु कुल रिक्तियां 391 हैं, जिनमें से 92, 53 और 164 क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं। आईआईआईटी में शिक्षण पदों के लिए आरक्षित श्रेणियों हेतु कुल रिक्तियां 468 हैं, जिनमें से 141, 85 और 242 क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं।

आईआईटी स्वायत्त संस्थान हैं जो प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 और समय-समय पर इसके तहत बनाए गए संविधियों द्वारा शासित होते हैं। रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है और आईआईटी संकाय भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करते हैं, जो पूरे वर्ष उन सभी अभ्यर्थियों के लिए खुले रहते हैं, जो आईआईटी में संकाय पदों के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव रखते हैं।

अगस्त, 2021 में शिक्षा मंत्रालय के तहत सभी सीएचईआई से अनुरोध किया गया था कि वे अपनी संस्थाओं में बैकलॉग रिक्तियों को मिशन मोड के तहत भरने के लिए विशेष अभियान चलाएं। सीएचईआई ने अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) और अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) सहित अन्य वर्गों के रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया। शिक्षा मंत्रालय ने सभी सीएचईआई को मिशन मोड में रिक्तियों को भरने के लिए भी आह्वान किया है। सितंबर 2022 से, केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू), आईआईटी, आईआईएम और आईआईआईटी ने भी अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. सहित रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड भर्ती अभियान शुरू किया है। दिनांक 12.07.2025 (अर्थात अंतिम रोजगार मेला की तिथि) तक सभी सीएचईआई द्वारा मिशन मोड में 16,507 संकाय पदों सहित कुल 28,450 पद भरे जा चुके हैं।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम और आईआईआईटी द्वारा सामूहिक रूप से कुल 20,712 रिक्तियां भरी गई हैं, जिनमें से 11,930 संकाय पद हैं, जिनमें 1,458 अ.जा., 619 अ.ज.जा. और 2,452 अ.पि.व. पद शामिल हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किये गये हैं और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, एम्स, दिल्ली में संकाय और रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए आरक्षित श्रेणियों हेतु कुल रिक्तियां 730 हैं, जिनमें से 250, 115 और 350 क्रमशः अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के लिए हैं।
